

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर,
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 1171 / भू-अर्जन / 2017

सूरजपुर, दिनांक 23 अगस्त 2017

प्रति,

कलेक्टर,

भू-अर्जन शाखा / एन.आई.सी. शाखा,
जिला कार्यालय सूरजपुर.

- विषय :- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2016-17, ग्राम-महोरा में अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र. 290 एवं 291/मु.लि./2017, दिनांक 16 फरवरी 2017.

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के साथ धारा-11 की अधिसूचना की प्रतियां कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर को प्रेषित करते हुए सम्बन्धित कार्यालयों, समाचार-पत्र, वेब साईट आदि में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अधिसूचना का छ.ग. शासन एवं सूरजपुर जिले के वेब साईट में प्रकाशन नहीं हुआ है।

अतएव विषयांकित प्रकरण में धारा-11 की अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया अधिसूचना का छ.ग. शासन एवं सूरजपुर जिले के वेब साईट में प्रकाशन कराते हुए प्रकाशन की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

receipt
24/8

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना

सूरजपुर, दिनांक 16 /02/2017

रा.प्र.क्र. 03 /अ-82/16-17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिले एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

-- अनुसूची --

भूमि का प्रकार					धारा-12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	प्रेमनगर	महोरा/ प.ह.नं. 15	404 253	0.22 0.41	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग-अम्बिकापुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	महोरा विध्याचल मार्ग पर चितखई नाला पर पुल निर्माण
		योग :-	2	0.63		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014, दिनांक 27 मई 2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
एवं अ.वि.अ. (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)
कलेक्टर,

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग